संख्या-108/2016/1445/41-2016-37 यो0/13

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद देवरिया के रूद्रपुर में स्थित दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-675/6-1-1(456)/2016, दिनांक 05.08.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद देवरिया के रूद्रपुर में स्थित दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 402.91 लाख (रूपये चार करोड दो लाख इक्यान्नवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त रू0 80.58 लाख के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 41/2114/41-2014-37 यो0/13, दिनांक 18.09.2014 द्वारा तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 198.955 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 142/2015/2026/41-2015-37 यो0/13, दिनांक 08.10.2015 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत योजना हेतु अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 198.955 लाख (रूपये एक करोड अट्ठान्नवे लाख पन्चान्नवे हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 66/2016/929/41-2016-37 यो0/13, दिनांक 09.06.2016 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3. इस सम्बन्ध में महानिदेशक, पर्यटन ने अपने पत्र सं0-675/6-1-1(456)/2016, दिनांक 05.08.2016 के माध्यम से जनपद देवरिया के रूद्रपुर में स्थित दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की योजना के अन्तर्गत नाली निर्माण, जी0आई0 रूफिंग, रिटेनिंग वाल, स्टेप एवं इन्टरलाकिंग आदि के कार्य कराये जाने सम्बन्धी रू0 27.33 लाख का आगणन प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ओवर हेड टैंक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पम्प हाउस, इलेक्ट्रिक आदि का कार्य अन्य विभागों द्वारा कराया गया है, जिस पर कुल लागत रू0 25.10 लाख है। अत: उक्त कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु रू0 27.33 लाख का आगणन अर्थात प्रश्नगत योजना की बचत की धनराशि रू0 25.10 लाख से रू0 2.23 लाख को बढाकर रू0 27.33 लाख का धनराशि का आगणन प्रेषित किया गया है। चूंकि प्रश्नगत योजना की रू0 402.92 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 402.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अत: प्रश्नगत योजना हेतु प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में बढाई गयी धनराशि रू0 2.23 लाख को जोडकर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान नही की जा सकती है।

4. अत: महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देवरिया के रूद्रपुर में स्थित दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ओवर हेड टैंक, पम्प हाउस, इलेक्ट्रिक आदि कार्यों के स्थान पर प्रश्नगत योजना की बचत की धनराशि से ही नाली निर्माण, जी0आई0 रूफिंग, रिटेनिंग वाल, स्टेप एवं इन्टरलाकिंग आदि के कार्य हेतु रू0 25.10 लाख की धनराशि व्यय करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0- 5 पीएनसी (14)/2013, दिनांक 04-03-2014 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्ज देय नही होगा।

(4) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि यदि नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कोई व्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाया

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(9) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-108/2016/1445(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, देवरिया।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- उप निदेशक, पर्यटन गोरखपुर।
8- निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
1०- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।